

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

भारत

Rs.20



TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



NOTARIAL Stamp No. 100

M

Notary, Narain, Raebareilly

00AA-253944



2394 20/1/2012

उपकोषागार ललितपुर
 २० २००० २००० २०००

स्थापना का नाम व पूरा पता
 श्री ललितपुर ललितपुर
 स्टाफ विज्ञान का नाम
 माइलेज नं.-37 हस्ताक्षर
 माइलेज की अवधि 31-3-2012
 काम्य करवे का स्थान-कर्मद्रोह बाग

वीरेंद्र सिंह पुन्डेला का का दल सिंह
 ललितपुर ललितपुर

ds

Identified by me
 BK Singh A1
 1-2-12

प्रारूप 26

(नियम 4क देखिए)

226 ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं, वीरेंद्र सिंह बुडेल पुत्र/पुत्री/पत्नी अदल सिंह
आयु 60 वर्ष, जो 44 सिविल लाइन ललितपुर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधो) का /की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं
1- S.T.N. 51/02 धारा 147, 148, 149, 307, 364 I.P.C में आरोप विरचित नहीं है तथा मा. 322 धारा 307 से लान आदेश है जिमा विवण 2144 पत्र में
2- मु. नं. 6180/07 धारा 147 387, 504, 120 B. I.P.C. एवं 3/13 S.C. धारा 322 धारा 307 से लान आदेश है जिमा विवण 2144 पत्र में
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधो) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा /करेगी) :

- (1) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं विवण शपथ पत्र में संलग्न है
- (2) पुलिस थाना (थानें)..... जिला (जिले)
- राज्य
- (3) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का सक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है
- (4) न्यायालय, जिनके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपो की विरचना की गई)
- (5) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गये थे विवरण शपथ पत्र में संलग्न है
- (6) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं.....

2 - मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43 की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास (यदि अभिसाक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (1) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....
- (2) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

BOVIND NARAIN RAWAT
Advocate, Central Natory
LALITPUR (U. P.)
Reg. No - 4555/07

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले).....

राज्य.....

ललितपुर नदी, विवरण शपथ पत्र में है।

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे.....

ललितपुर नदी, विवरण शपथ पत्र में है।

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं.....

स्थान : ललितपुर

तारीख : 01-02-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

ललितपुर स्थान पर आज तारीख 01-02-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिये जाएं।]

Varendra Singh Bundela to Udal Singh
As identified by
B.K. Singh AA.
01.2.12



GOVIND NARAIN RAWAL
Advocate, Chauri, Notary
LALITPUR (U.P.)
Reg. No.- 4555/07